

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/5744

प्रार्थीगण

बनाम

दिनांक - 07.07.25

अप्रार्थीगण

1 गोमाराम पुत्र भेराराम 2 गोमाराम पुत्र जैसाराम 3 अमराराम
पुत्र अचलाराम 4 अणसी पत्नी भेराराम 5 आईदानराम 6
आसूराम पिसरान वीरमाराम 7 किशनाराम पुत्र रूपाराम 8
चैनीदेवी पत्नी रूपाराम 9 जसोदा पत्नी जहैसाराम 10 जोधाराम
पुत्र वीरमाराम 11 डालूराम पुत्र ईशराराम 12 तिलोकाराम पुत्र
जैसाराम 13 देवाराम पुत्र हनुमानराम 14 बागाराम पुत्र जैसाराम
15 मगाराम पुत्र ईशराराम 16 मालाराम पुत्र जैसाराम 17 श्रवण
कुमार पुत्र रूपाराम 18 साजनराम पुत्र ईशराराम 19 हीराराम
पुत्र भेराराम जाति जाट निवासी जेताणियों की ढाणी, खुड़ासा
तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

1 अचलाराम पुत्र
मगाराम वगैराह जाति
जाट निवासी जेताणियों
की ढाणी, खुड़ासा
तहसील बाड़मेर ग्रामीण
व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 762/2024 दिनांक- 04.07.2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा जेताणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र खुड़ासा तहसील बाड़मेर ग्रामीण

जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 208 रकबा 0.1214 हैक्टेयर, खसरा संख्या 209 रकबा 26.4259

हैक्टेयर कुल रकबा 26.5473 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए

नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त


नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए

एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व

विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में

नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र

निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(वीरमा राम)


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/5745-48

दिनांक- 07.07.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी खुड़ासा तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण गोमाराम पुत्र भेराराम वगैराह जाति जाट निवासी जेताणियों की ढाणी, खुड़ासा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण अचलाराम पुत्र मगाराम वगैराह जाति जाट निवासी जेताणियों की ढाणी, खुड़ासा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर